



राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०यू०एल०एम०) उ०प्र०
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण- सूडा उ.प्र.)



7/23, सेक्टर-7, निकट यू०पी० 100, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ 226010

E-mail:nulmup@gmail.com

website:www.sudaup.org

पत्रांक:-4658/241/NULM/तीन/2001(SUH) SLMC

दिनांक 25/10/2018

कार्यालय ज्ञाप

मा० उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या 55/2003 एवं 572/2003 ई०आर० कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा श्री बलविन्दर कुमार IAS सेवानिवृत्त, सदस्य रेरा उ०प्र० की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मानीटरिंग समिति (SLMC) गठित है, जिसमें प्रमुख सचिव नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन, श्री विनोद कुमार यादव, प्रतिनिधि नागर समाज एवं श्री संदीप खरे, सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य के रूप में समिति में नामित हैं।

मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में मा० समिति द्वारा शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सतत मानीटरिंग की जा रही है। प्रदेश में शहरी बेघरों हेतु संचालित आश्रय गृहों में विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं का लाभ समन्वय के माध्यम से दिलाया जाना गाइडलाइन में प्रावधानित है। मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में विगत माहों में प्रदेश में गिरी विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ के द्वारा कराये गये थर्ड पार्टी सर्वेक्षण में चिन्हित सभी शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य है। थर्ड पार्टी सर्वेक्षण में पाये गये शहरी बेघरों के आंकड़े सम्बन्धित सभी को इस कार्यालय द्वारा ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जा चुका है तथा शहर में पाये गये शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराये जाने हेतु भूमि का चिन्हीकरण कर शेल्टर निर्माण हेतु कार्ययोजना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया जा रहा है, जो कि अद्यतन अप्राप्त है, जबकि उक्त कार्ययोजना मा० उच्चतम न्यायालय में दाखिल किये जाने हेतु प्रत्येक दशा में दिनांक 30.10.2018 तक भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाना है।

प्रकरण की समीक्षा मा० समिति द्वारा विगत दिनांक 17.10.18 को की गयी जिसमें भूमि चिन्हीकरण आदि के विवरण अद्यतन उपलब्ध न होने की स्थिति पर चिंता व्यक्त की गयी है तथा प्रकरण की समीक्षा हेतु दिनांक 01.11.18 को सायं 03.30 बजे सूडा सभागार, 7/23, सेक्टर-7, निकट यू०पी० 100, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ में राज्य स्तरीय मानीटरिंग समिति के अध्यक्ष श्री बलविन्दर कुमार IAS सेवानिवृत्त, सदस्य रेरा उ०प्र० की अध्यक्षता में प्रदेश के नगर निगमों में शेल्टर का कार्य देख रहे नोडल अधिकारियों की बैठक आहूत की गयी है। उक्त बैठक में निम्नानुसार नोडल अधिकारियों को प्रतिभाग करना है:-

क्र०सं०	नगर निगम का नाम	नोडल अधिकारी का नाम	पदनाम
1	लखनऊ	अनिल मिश्रा	अपर नगर आयुक्त
2	आगरा	आर०के० सिंह	अधिशाली अभियन्ता
3	प्रयागराज	श्री सतीश कुमार	मुख्य अभियन्ता
4	वाराणसी	आर०के० सिंह	सहायक अभियन्ता
5	अलीगढ़	शोभापति यादव	कर अधीक्षक
6	गोरखपुर	सुरेश चन्द्रा	मुख्य अभियन्ता
7	कानपुर नगर	मनीश कुमार सिंह	मुख्य अभियन्ता
8	झांसी	अमित शर्मा	अधिशाली अभियन्ता
9	सहारनपुर	श्याम बिहारी अग्रिहरी	स्टोर प्रभारी
10	बरेली	संजय चौहान	अधिशाली अभियन्ता
11	अयोध्या- फैजाबाद	आर०के० तिवारी	सहायक अभियन्ता
12	शाहजहांपुर	महेश चन्द्र शुक्ला	अवर अभियन्ता
13	मथुरा	विष्णु कान्त प्रसाद	राजस्व निरीक्षक
14	गाजियाबाद	श्री हरि किशन गुप्ता (कवि नगर जोन) कू० सरिता सिंह (विजय नगर जोन) श्री सुनील कुमार राय (बसुन्धरा जोन) श्री सुधीर कुमार शर्मा (सिटी जोन) श्री शिव कुमार गौतम (मोहन नगर जोन)	जोनल आफिसर जोनल आफिसर जोनल आफिसर जोनल आफिसर जोनल आफिसर
15	मेरठ	श्री जितेन्द्र चैन	मुख्य अभियन्ता
16	फिरोजाबाद	पी०के० सिंह	सहायक अभियन्ता
17	मुरादाबाद	सुनील कुमार केसरी	मुख्य अभियन्ता

बैठक में प्रतिभाग करने वाले नोडल अधिकारियों द्वारा नगर निगम में शहरी बेघरों को थर्ड पार्टी सर्वेक्षण के अनुसार आश्रय उपलब्ध कराये जाने हेतु संलग्न निर्धारित प्रारूप पर कार्ययोजना निम्न बिन्दुओं पर तैयार कर प्रतिभाग करना है:-

1. वर्षवार (18-19 से 21-22 तक) भूमि चिन्हांकन एवं शेल्टर निर्माण का विवरण।
2. शेल्टर होम निर्माण हेतु चिन्हित भूमि का विवरण जिसमें भूमि का क्षेत्रफल एवं लोकेशन के विवरण का उल्लेख।
3. शेल्टर निर्माण अवधि में सर्दी के दृष्टिगत वैकल्पिक व्यवस्था का विवरण, जिसमें चिन्हित भवन का विवरण एवं लोकेशन तथा भवन में आश्रय दिये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या।
4. भूमि का चिन्हांकन किये जाने तक किराये की बिल्डिंग में शेल्टर होम संचालित किये जाने की सम्भावना का विवरण, जिसमें चिन्हित बिल्डिंग का विवरण एवं लोकेशन तथा उक्त बिल्डिंग में आश्रय दिये जाने वाले सम्भावित व्यक्तियों की संख्या तथा किराया आदि का विवरण।
5. नगर निगम द्वारा पूर्व से संचालित NON-DAY-NULM शेल्टर्स में उपलब्ध सेवाओं एवं सुविधाओं का विवरण।
6. नगर निगम द्वारा पूर्व से संचालित NON-DAY-NULM शेल्टर्स में संचालन हेतु उपलब्ध कर्मियों का विवरण मोबाइल नम्बर सहित।

उल्लेखनीय है कि शहर में थर्ड पार्टी सर्वेक्षण में पाये गये शहरी बेघर, एवं शेल्टर होम की उपलब्धत क्षमता को घटाते हुए अतिरिक्त आवश्यकता आंकलन के विवरण का चार्ट पुनः सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न किया जा रहा है, जिसके आधार पर उपरोक्तानुसार कार्ययोजना तैयार कर बैठक में प्रतिभागिता सुनिश्चित की जानी है।

उक्त बैठक में उल्लिखित नगर निगम के शहरों में शेल्टर होम का कार्य देख रहे शहर मिशन प्रबंधकों को भी बैठक में नोडल अधिकारी, नगर निगम से समन्वय कर DAY-NULM एवं NON-DAY-NULM के सभी शेल्टर होम के संचालन की स्थिति एवं थर्ड पार्टी के सर्वेक्षण में पाये गये शहरी बेघरों को उपरोक्तानुसार आश्रय उपलब्ध कराये जाने की कार्ययोजना की हार्ड एवं साफ्ट प्रतियों के साथ बैठक में प्रतिभाग करना अपरिहार्य है। उक्त अभिलेख साफ्ट प्रति में suhnulmup@gmail.com पर भी प्रत्येक दशा में दिनांक 29.10.2018 तक उपलब्ध करा दिया जाये।

अतः अध्यक्ष SLMC की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 01.11.2018 को अपराह्न 03.30 बजे नोडल अधिकारी, शेल्टर होम नगर निगम, उ0प्र0 एवं सम्बन्धित शहर मिशन प्रबंधकों के द्वारा उपरोक्तानुसार सुसंगत सूचनाओं सहित बैठक में प्रतिभाग सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

संलग्नक-यथोपरि।

(उमेश प्रताप सिंह)

मिशन निदेशक/निदेशक सूडा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 श्री बलविन्दर कुमार, IAS (से0नि0), अध्यक्ष, राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समिति, शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना, उ0प्र0 को उनके निर्देश के क्रम में अवगतार्थ।
- 2 निजी सचिव, प्रमुख सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग/नगर विकास उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
- 3 निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4 सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
- 5 समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह उल्लिखित नोडल अधिकारियों को सुसंगत सूचनाओं सहित बैठक में प्रतिभाग हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 6 निदेशक, C&DS उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सुसंगत सूचनाओं सहित बैठक में प्रतिभाग हेतु।
- 7 श्री संदीप खरे/विनोद यादव, सदस्य एस0एल0एम0सी0, उ0प्र0 को बैठक में प्रतिभाग हेतु।
- 8 समस्त नोडल अधिकारी शेल्टर होम नगर निगम, उ0प्र0/सम्बन्धित शहर मिशन प्रबंधकों को उपरोक्तानुसार बैठक में प्रतिभाग हेतु।
- 9 सम्बन्धित परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 को अनुपालनार्थ।
- 10 प्रभारी नजारत, सूडा को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु।
- 11 वेबमास्टर सूडा को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(उमेश प्रताप सिंह)

मिशन निदेशक/निदेशक सूडा

Format for Road Map for providing shelters to urban homeless under the Scheme Shelter for Urban Homeless (SUH) of DAY-NULM

S.N.	District/ UlB's	Population as per Census 2011	Number of Homeless Persons Found in Third party Survey (Giri)	Existing Status of Shelters			Additional requirement apart from existing shelter homes (No's) (4-9)	Projected no of homeless (No's)	No of shelter required (50 Each)		
				Non NULM Shelter's (No's)	Non NULM Shelters Capacity (No's)	NULM Shelters Capacity (No's)				Total Capacity available (No's) (6+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Action Plan

S.No	I- Yearwise Details of Land Identification			II- Details of temporary arrangements of Shelters in Govt. Buildings				III- Details of rented Building identified for Shelter					
	Year	No. of Land Identified/to be identified	Area in Sq.mtr	Location	capacity	No. of Buildings	Building Name	Location	Proposed Capacity	No. of Building	Building Name	Location	Proposed Number
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2018-19					1							
						2							
						3							
						4							
2	2019-20					5							
						6							
						7							
3	2020-21					8							
						9							
						10							
4	2021-22					11							
						12							
	Total												

Note कृपया आवश्यकतानुसार कॉलम, रो, पृष्ठ बढ़ा लें तथा आवश्यकतानुसार विवरण अलग से लिखित में भी संलग्न कर दिया जा सकता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश योजित रिट याचिका सिविल सं०-55/2003 एवं 572/2003 ई० आर० कुमार व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में NON-DAY-NULM शेल्टर होम में उपलब्ध सेवाओं/सुविधाओं की उपलब्धता सम्बन्धी प्रारूप

1. शहर का नाम..... 2. जनपद.....
 3. शेल्टर होम का नाम व पूरा पता.....
 4. प्रकार- स्थाई/अस्थायी..... 5. क्षमता.....
- (प्रत्येक शेल्टर होम हेतु अलग-अलग प्रारूप भरा जायेगा)

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक "शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत" उल्लिखित सेवाओं/सुविधाओं का विवरण एवं उपलब्धता न होने पर समयबद्ध कार्ययोजना का विवरण।			
क्र० सं०	सेवाएं/सुविधाओं	उपलब्धता (हाँ/नहीं) में उल्लेख करें	टिप्पणी (सेवाएं/सुविधाओं की उपलब्धता न होने पर मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में समयबद्ध कार्य योजना का समयरेखा के साथ विस्तृत विवरण का स्पष्ट उल्लेख करें)।
1	2	3	4
	शेल्टर होम का प्रकार (पु०/महि०/परिवार/विशेष श्रेणी)		
1	न्यूनतम 50 sq. ft. प्रति व्यक्ति स्थान की उपलब्धता का मानक		
2	मौसम हेतु उपयुक्त ढाचा कंकरीट/पत्थर, सीमेन्टेड आदि		
3	लोकेशन (गाइडलाईन के परिपेक्ष्य में उल्लेख करें)		
4	हवादार कमरे		
5	पेयजल की सुविधा		
6	स्वच्छता एवं सफाई व्यवस्था Frequency का विवरण टिप्पणी में उल्लेख करें		
7	पर्याप्त संख्या में शौचालय की उपलब्धता (संख्या दें)		
8	पर्याप्त संख्या में बाथरूम की उपलब्धता (संख्या दें)		
9	स्टैन्डर्ड प्रकाश की व्यवस्था का उल्लेख करें (बल्ब एवं पंखों का विवरण)		
10	अपेक्षित अग्निशमन उपकरण की व्यवस्था/उपलब्धता		
11	प्राथमिक उपचार व्यवस्था		
12	मच्छर भगाने वाले उपकरण/व्यवस्था		
13	नियमित साफ सफाई/धुलाई (कम्बल, गद्दे, चादरों) आदि की व्यवस्था/उपलब्धता।		
14	कॉमन किचन स्थल की उपलब्धता।		
15	गैस कनेक्शन		
16	भोजन पकाने के बर्तन की व्यवस्था।		
17	बच्चों के देखभाल हेतु आंगनबाड़ी से समन्वयन		
18	व्यक्तिगत लॉकर (व्यक्तिगत सामानों एवं भण्डारण के लिए)		
19	सामान्य मनोरंजन का स्थान		
20	सी.सी.टी.वी. की स्थापना(प्रवेश एवं निकास द्वार पर)		
21	लिकेजेज विद इनटाइटिलमेंटस गाइडलाइन के अनुसार सेवाओं हेतु		
21.1	पहचान पत्र एवं पत्र व्यवहार का पता, मतदाता/आधार पहचान पत्र आदि।		
21.2	सामाजिक सुरक्षा (वृद्धा अवस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन)		
21.3	बी०पी०एल० कार्ड, राशन कार्ड आदि		

21.4	बैंको/पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाना आदि		
21.5	बाल विकास एवं पुष्ठाहार सेवाएं		
21.6	सरकारी स्कूलों में बच्चों का प्रवेश कराना		
21.7	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना आदि से लाभ दिलाना।		
21.8	चिकित्सीय सुविधा हेतु सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों से समन्वय		
21.9	सबके लिए आवास, NULM और अन्य योजनाओं/सेवाओं एवं अन्य का लाभ		
21.10	निःशुल्क विधिक सहायता		
22	शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था		
23	शेल्टर होम में गाइडलाइन के अनुसार स्टाफ की उपलब्धता (प्रबन्धक एवं 3 चौकीदार- सभी का पदनाम एवं मोबाइल नं0 दें)		
24	गाइडलाइन के परिपेक्ष्य में अभिलेखों की उपलब्धता (अभिलेख विशेष का नाम का उल्लेख करें)		
25	आश्रय हेतु लिये जाने वाला शुल्क धनराशि (प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) रुपये में।		
26	प्रबन्धन समिति का गठन यदि हां तो बैठक Frequency का विवरण उल्लेख करें		
27	संचालन एवं प्रबन्धन व्यवस्था		
27.1	होमलेस पर्सनस कलेक्टिव		
27.2	युवा एवं महिला आधारित सामुदायिक समूह		
27.3	विश्वविद्यालय एवं इन्सटीट्यूशन		
27.4	नेहरु युवा केन्द्र		
27.5	असंगठित कर्मचारी ट्रेड यूनियन		
27.6	स्वयंसेवी संस्थाएं/सामुदाय आधारित रजिस्टर्ड संस्थाएं (रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860/पंजीकृत ट्रस्ट)		
27.7	राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त स्वयं सहायता समूह		
27.8	रेजीडेन्ट बेलफेयर एसोसिएशन		
27.9	पब्लिक/प्राइवेट कम्पनीज		
28	अन्य सेवाएं/सुविधाओं की उपलब्धता		
29	अन्य टिप्पणी		
30	शेल्टर होम के पास खुले में सो रहे शहरी बेघर व्यक्ति बाहुल्य क्षेत्रों की दूरी		
	शेल्टर होम सभी मौसम हेतु स्थायी 24x7 की व्यवस्था		
	महिलाओं हेतु अलग से कमरा/हॉल की व्यवस्था		
	महिलाओं हेतु अलग से शौचालय एवं बाथरूम की उपलब्धता/आवश्यकता		

नोडल अधिकारी

नगर आयुक्त / सी0पी0ओ0

Nagar Nigam wise Urban Homeless as per third party survey, Available capacity of shelter home and Tentative additional Requirement of Shelter														
S. N.	District	ULB	Population as per Census 2011	Homeless person as per census 2011	Homeless person as per survey by ULB's in Dec-17	Number of Homeless Persons Found (Giri)	Non NULM Shelter	Non NULM Shelters Capacity	NULM Shelters	NULM Shelters Capacity	Total Capacity available (9+11)	Additional requirement apart from existing shelter homes (7-12)	Projected no of homeless of road map	No of shelter required
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Agra	Agra (NN)	1585704	9739	507	489	12	302	2	110	412	77	100	2*
2	Aligarh	Aligarh (NN)	874408	3885	417	225	7	300	1	100	400	-175		0
3	Allahabad	Allahabad (NN)	1168385	13959	663	1048	5	129	7	408	537	511	525	11
4	Bareilly	Bareilly (NN)	904797	1596	156	428	8	200	1	100	300	128	150	3**
5	Faizabad	Ayodhya (NN)	221118	132	285	280					0	280	300	6
6	Firozabad	Firozabad (NN)	604214	1126	104	144	2	40	1	100	140	4	-	0
7	Ghaziabad	Ghaziabad (NN)	1648643	7291	369	835	14	600	5	500	1100	-265	-	0
8	Gorakhpur	Gorakhpur (NN)	673446	1062	34	1069	7	140	5	411	551	518	525	11
9	Jhansi	Jhansi (NN)	505693	867	449	761	3	90	7	490	580	181	180	4
10	Kanpur	Kanpur (NN)	2768057	80238	3106	2127	17	527	13	571	1098	1029	1030	21
11	Lucknow	Lucknow (NN)	2817105	15563	5006	3220	10	390	9	309	699	2521	2650	51**
12	Mathura	Mathura-Vrindavan (NN)	412914	1210	32	682			1	100	100	582	600	12
13	Meerut	Meerut (NN)	1305429	2121	1102	531	12	120	4	370	490	41	50	1
14	Moradabad	Moradabad (NN)	887871	739	1014	717	7	210	2	86	296	421	425	9
15	Saharanpur	Saharanpur (NN)	705478	404	310	340	2	100	1	50	150	190	200	4
16	Shahjahanpur	Shahjahanpur (NPP)	329736	492	154	388			3	210	210	178	200	4
17	Varanasi	Varanasi (NN)	1198491	2607	1091	1577	9	167	2	100	267	1310	1310	26

* आगरा में 100 व्यक्तियों की क्षमता हेतु नगर निगम कैम्पस गदापाड़ा, जियोमीमण्टी आगरा में प्रस्तावित शेल्टर निर्माण की डीपीआर0 सूडा उ090 को प्राप्त है।

** बरेली में NON-DAY-NULM के प्रस्तावित 7 एवं लखनऊ में प्रस्तावित 4 शेल्टर होम की प्रस्तावित क्षमता को सम्मिलित का आंकलन किया गया है।

नोट- सभी नगर निगम NON-DAY-NULM शेल्टर्स की क्षमता का DAY-NULM की SUH गाइडलाइन के अनुसार 50 वर्गफिट प्रति व्यक्ति स्थल/स्थान के अनुसार पुनः सत्यापन कर यदि क्षमता में बदलाव हो तो शेल्टर होम वार क्षमता का विवरण अलग से अपने साथ लाये ताकि तदानुसार आवश्यकता का आंकलन संशोधित किया जा सके एवं अपनी कार्ययोजना में भी सत्यापित संशोधित क्षमता का उल्लेख करें।